CHAPTER 4

BIHAR BOARD CLASS 8TH HISTORY NOTES

उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज

पाठ का सारांश – इस अध्याय में हम भारत के वनों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज के लोगों पर अंग्रेजी शासन की नीतियों से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे।
जनजातीय समाज का जीवन— इस महाद्वीप में सबसे पुराने समय से रहने वाले लोग यानी जनजातीय समाज के लोगों को हम आम भाषा में आदिवासी' कहते हैं। इनका जीवन पूरी तरह से वनों पर निर्भर था। उनके गाँव, बस्तियाँ आमतौर पर जंगलों के बीच या आस-पास होते थे।
वे अपने दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर रहते थे।
जंगलों को साफ कर वे हल से खेती कर धान, दलहन एवं मक्का उपजाते थे। वे 'झूम खेती' करते थे। यानी दो-तीन वर्षों तक एक जगह खेती करते । जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती अन्यत्र यही प्रक्रिया दुहराते । कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने पर पहले की जगह जंगल वापस उग जाता था। इससे उनकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगल को कोई नुकसान भी नहीं होता था। इस विधि को 'घुमंतु कृषि विधि' नाम से भी जाना जाता है।

अपनी आवश्यकता की कुछ वस्तुओं को वे बाजार से वस्तु विनिमय के माध्यम से खरीदते ।
यानी अपनी उपज व जंगल की लकड़ियों के बदले वे नमक, कपड़े आदि वस्तुएँ खरीदते । इस क्रम में उन्हीं को ज्यादा नुकसान होता था। उन्हें काफी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती थी।
अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलने के लोभ में जंगलों तक भी पहुँच गये और तब इन आदिवासियों का जीना दूभर हो गया। उनसे उनकी जमीन छिन गयी। लगान चुकाने के लिए उन्हें महाजनों से सूद लेना पड़ा । आखिर में उनमें से कई महाजनों के बंधुआ मजदूर बन गये ।
कई आदिवासी कमाने के लिए असम के चाय बगानों तथा हजारीबाग एवं धनबाद के कोयला खदानों में चले गये। वहाँ ठेकेदार उन्हें बहुत कम मजदूरी देते थे, ज्यादा मुनाफा अपने पास रखते थे।

तब, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई जैसे बड़े शहर बस रहे थे, मीलों लंबी रेल लाइनें बिछाई जा रही थीं। इसके लिए अधिक लकड़ियों की जरूरत थी। इसके लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई शुरू कर दी।
ठेकेदार ज्यादा लकड़ियाँ काटने लगे जबकि नयी बनने वाली इमारतों, खदानों व जहाजों के लिए भारी मात्रा में लकड़ी की जरूरत पड़ती थी इसके लिए जंगलों को फिर से बसाना भी जरूरी थीं। इन्हीं आवश्यकताओं के लिए अंग्रेजों ने 'वन विभाग' बनाया।

अंग्रेजों ने सन् 1864 में 'वन विभाग' की स्थापना की और 1865 में 'वन अधिनियम' बनाया। अब आधे से अधिक जंगलों को अंग्रेजों ने 1878 के एक कानून के तहत आरक्षित (रिजर्व) कर दिया और उस पर अपना नियंत्रण कर लिया जहाँ आदिवासी नहीं जा सकते थे।

https://www.evidyarthi.in/

जंगल के कुछ बाहरी इलाकों तथा कुछ अन्य जंगलों को 'सुरक्षित जंगल' कहा गया, जहाँ लोगों को जाने की छूट थी पर वे पेड़ नहीं काट सकते थे। अपने काम की चीजें ला सकते थे और दो दिन से ज्यादा अपने जानवर भी नहीं चरा सकते थे।
अंग्रेजों के इन कानूनों व व्यवस्थाओं से आदिवासियों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया था।
उनको खेती प्रायः खत्म हो गयी। अब वे बंधुआ मजदूर या सामान्य मजदूर बन समाज के भीषण शोषण के शिकार हो गये।
ठेकेदारों और महाजनों के द्वारा शोषित तो वे हो ही रहे थे अब ईसाई मिशनरियों ने भी इस परिदृश्य में प्रवेश किया। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा उनका धर्म परिवर्तन करना था। ये मिशनरियाँ सेठ, साहूकार, जमींदार एवं बिचौलिए के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक एवं शारीरिक, शोषण करती थी। इसी कारण अंग्रेजों एवं गैर-आदिवासियों के खिलाफ जनजातीय समाज के लोगों ने जगह-जगह पर अस्त्र-शस्त्र उठा लिए। वैसे गरीब, गैर आदिवासी जो उनकी सहायता करते थे, उनसे आदिवासियों का गहरा सामाजिक संबंध, था। ये अंग्रेजों के खिलाफ गोलबन्दी करने में इनके मददगार होते थे।
जनजातीय विद्रोह का स्वरूप-भारत में सबसे बड़ी संख्या भील जनजाति की है। 19वीं शताब्दी में गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक, विहार समेत उत्तर-पूर्व भारत, जहाँ-जहाँ आदिवासी थे, उन्होंने अंग्रेजों एवं उनके सहयोगी गैर आदिवासियों, महाजनों एवं साहुकारों के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई छेड़ दिया। अंग्रेजों को लगान भरना बंद कर दिया । अंग्रेजों, महाजनों एवं साहुकारों के हर आदेश व नियम को मानने से इन्कार कर दिया। अंग्रेजी राज को समाप्त करने के लिए तत्कालीन विहार के संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह एवं ताना भगत आंदोलन भड़क उठा । आदिवासियों से जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त कर जनजातीय समाज को संरक्षण देना शुरू हुआ। उत्तर-पूर्व से भारत में भी खासिया, गारो एवं नागा जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संगठित विद्रोह किया ।
बिरसा मुंडा एवं मुंडा विद्रोह -15 नवम्बर, सन् 1874 को छोटानागपुर प्रमंडल के तमाड़ थानान्तर्गत उलिहातु गाँव के निकट एक छोटे से क्षेत्र 'चलकद' में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। वह ईसाई बन गया था। ईसाई धर्म से असंतुष्ट हो बाद में फिर मुंडा बन गया वह । अंग्रेजों एवं जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोही बन उसने मुंडा विद्रोह को जन्म दिया ।
1895 ई. में विरसा मुंडा को उसके कुलदेवता 'सिंगबोगा' से एक नये धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। उसने अपने को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया। उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई।
25 दिसम्बर सन् 1893 को विरसा ने पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया। उसे जेल में भेज दिया गया जहाँ हैजा की बीमारी से 2 जून सन् 1900 को उसकी मृत्यु हो गयी।
पर उसके द्वारा शुरू हुआ विद्रोह बढ़ता गया । अन्ततः अंग्रेजी सरकार जनजातियों के पक्ष में झुक गयी। 1902 में गुमला तथा 1905 में खूंटी अनुमण्डल का गठन किया गया ताकि आदिवासियों की समस्याओं को समझा और सुलझाया जा सके। आदिवासी किसानों की सुरक्षा के लिए 'छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908' बनाया गया। इसके तहत जनजातीय क्षेत्र की भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरण निषेध कर दिया गया।
मुंडा आन्दोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। डेढ़ सौ वर्षों से चला आ रहा, उनकी जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ और जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ । इस आन्दोलन
ने भारत में चल रहे राष्ट्रीय आन्दोलन को भी प्रभावित किया । जनजातीय समाज की अलग पहचान बनाने हेतु 15 नवम्बर, 2000 को विहार का विभाजन करके झारखंड राज्य बना दिया गया ।

https://www.evidyarthi.in/